उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन विभाग
संख्या 40/VI/2006–117(पर्य0)/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2007

अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007"** हैं ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 7 का प्रतिस्थापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

विद्यमान नियम स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
7–राजकीय सहायता की धनराशि– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रु0 3.75 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को संबन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा	**7–राजकीय सहायता की धनराशि–** राजकीय सहायता की धनराशि नियम–७ के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रु0 5 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को संबन्धित जिलाधिकारी, के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा

अन्तिम किस्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समायोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोल कर रखी जायेगी, जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाले ब्याज की गणना की जायेगी।	अन्तिम किस्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समायोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोल कर रखी जायेगी जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाले ब्याज की गणना की जायेगी ।

आज्ञा से,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–410 / /VI/2006–117(पर्य0)/2001, तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 10 मई, 2007 के असाधारण गजट में करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव